



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 पौष, 1943 (श०)

संख्या- 2 राँची, मंगलवार,

4 जनवरी, 2022 (ई०)

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

अधिसूचना

4 जनवरी, 2022

सं०सं०-02/कृ०गो०रा०-28/2016-16-- श्री मार्शल खलखो, तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, साहेबगंज सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध विभागीय योजनाओं के संचालन में अनियमितता बरतने के संदर्भ में आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

- उक्त प्रतिवेदित आरोपों के आधार पर श्री खलखो के विरुद्ध आरोप पत्र प्रपत्र -'क' में गठित करते हुए विभागीय संकल्प संख्या-828 दिनांक-28.05.2020 के द्वारा सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के सुसंगत नियमों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री गौरी शंकर मिंज, संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जांच पदाधिकारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को संचालन पदाधिकारी एवं श्री कपिलदेव पंडित, अवर सचिव, कृषि निदेशालय, झारखण्ड, राँची को प्रस्तोता पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रक्रिया को संपादित करते हुए पत्रांक-73/कृषि/2020/306 दिनांक-14.07.2021 से उक्त विभागीय कार्यवाही से संदर्भित जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने निष्कर्ष में प्रतिवेदित किया गया है कि श्री खलखो के विरुद्ध गठित सभी आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया । चूंकि विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री खलखो के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया, ऐसी स्थिति में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच अधिगम से सहमत होते हुए इनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को अंतिम रूप से निष्पादित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कृष्ण कुमार पाण्डेय,
सरकार के उप सचिव ।
